

पत्रांक- 11 न०वि० अभि०(को०) 41/2018

1300

न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मोहनियाँ।

पटना, दिनांक- 12/10/18

विषय:- नगर पंचायत, मोहनियाँ अन्तर्गत पुरानी कचहरी से मुख्य सड़क तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मोहनियाँ के पत्रांक-417 दिनांक-06.10.2018

महाशय,


उपर्युक्त प्रासांगिक पत्र से समर्पित नगर पंचायत मोहनिया के क्षेत्राधीन योजना का प्राक्कलन पर जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति की राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1.	नगर पंचायत, मोहनियाँ अन्तर्गत पुरानी कचहरी से मुख्य सड़क तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	रु० 61.517 लाख सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-07 दिनांक-27.09.2018	रु० 61.533 लाख

अतः उक्त कार्यों के लिए प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन की एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु लौटायी जाती है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


12/10/18

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- नगर पंचायत, मोहनियाँ अन्तर्गत पुरानी कचहरी से मुख्य सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 61.517/- (लाख रुपये) मात्र विशेष सचिव का पत्रांक 07 दिनांक 27.09.2018 से प्राप्त।
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 61.533/- (लाख रुपये) मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें। कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्रियों की आपूर्ति ISI के Specification का होना चाहिए।
(iv) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अद्यतन अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(v) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(vi) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(vii) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमता पूर्वक हो सके।
(viii) PCC कार्य एवं RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अव य करा लेंगे।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।
(xii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xiii) नाले में प्रयुक्त होने वाले Reinforcement में टाटा / सेल / Vizag / Ispaat Nigam मेक स्टील FE 500 का प्रयोग करेंगे।
(xiv) पथ की पूरे लम्बाई का एक बार ही लेवल लेना होगा तथा इसके आधार पर वास्तविक मात्रा की मिट्टी निकालनी होगी तथा इसी मात्रा के आधार पर मिट्टी कार्य का भुगतान होगा।
(xv) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।


12/10/16

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना